

क्या राज्यों को 16वें वित्त आयोग से लाभ हुआ है?

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर 2:** संघवाद, वित्त आयोग, केंद्र-राज्य संबंध।
- **GS पेपर 3:** सार्वजनिक वित्त, राजकोषीय नीति, बजटीय शासन।

IAS-PCS Institute

चर्चा में क्यों?

डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग (2026-31) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्रीय करों के हस्तांतरण (Devolution) के संबंध में इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट ने राजकोषीय संघवाद, ऊर्ध्वाधर (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) हस्तांतरण, तथा संसाधन वितरण में न्याय (Equity) और दक्षता (Efficiency) के बीच संतुलन पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है।



पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा

संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत, केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए शुद्ध कर राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। इसका वितरण हर पांच साल में अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

विभाज्य पूल (Divisible Pool) में शामिल हैं:

- निगम कर (Corporation Tax)
- व्यक्तिगत आयकर
- केंद्रीय जीएसटी (CGST)
- IGST में केंद्र का हिस्सा

महत्वपूर्ण बिंदु: उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) को विभाज्य पूल से बाहर रखा गया है। 2025-26 के लिए, उपकर और अधिभार को छोड़कर विभाज्य पूल केंद्र के सकल कर राजस्व का केवल लगभग 81% है—जो राज्यों के लिए विवाद का एक प्रमुख बिंदु है।

ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution): यथास्थिति बरकरार

ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण से तात्पर्य सभी राज्यों को सामूहिक रूप से आवंटित केंद्रीय करों के हिस्से से है।

- **13वें वित्त आयोग तक:** 32%
- **14वां वित्त आयोग:** बढ़ाकर 42% किया गया।
- **15वां वित्त आयोग:** घटाकर 41% किया गया (जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के कारण)।
- **16वां वित्त आयोग:** इसे 41% पर बरकरार रखा गया है।



कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 45-50% करने और विभाज्य पूल में उपकर एवं अधिभार को शामिल करने की मांग की थी, जिसे 16वें वित्त आयोग ने खारिज कर दिया।

41% बरकरार रखने के कारण:

1. राज्यों को पहले से ही कुल सार्वजनिक राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होता है।
2. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के माध्यम से केंद्र के व्यय का एक बड़ा हिस्सा अंततः राज्यों को ही जाता है।
3. केंद्र को रक्षा, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए अधिक वित्तीय स्थान (Fiscal Space) की आवश्यकता है।
4. आयोग का मानना था कि उपकर और अधिभार आपात स्थितियों के दौरान केंद्र को वित्तीय लचीलापन प्रदान करते हैं।

क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution): एक दिशात्मक बदलाव

क्षैतिज हस्तांतरण का अर्थ है राज्यों के सामूहिक हिस्से (41%) का व्यक्तिगत राज्यों के बीच वितरण।

ऐतिहासिक रूप से, इसमें 'न्याय' (Equity) के मानकों को अधिक महत्व दिया गया है, जैसे:

- आय की दूरी (Income distance)
- जनसंख्या
- क्षेत्रफल

वहीं 'दक्षता' (Efficiency) के मानकों जैसे वन क्षेत्र, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर प्रयासों को तुलनात्मक रूप से कम महत्व दिया गया है।

राज्यों के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण:

- **कम विकसित राज्य:** न्याय के मानदंडों पर निरंतर जोर देने का समर्थन करते हैं।
- **औद्योगिक राज्य (महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना):** इनका तर्क है कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उनके योगदान को मान्यता दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि आय की दूरी पर अत्यधिक निर्भरता बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दंडित करती है।



16वें वित्त आयोग ने क्या बदलाव किए?

आयोग ने दो मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाया:

1. वित्तीय झटकों (Fiscal Shocks) से बचने के लिए बदलाव क्रमिक होने चाहिए।
2. दक्षता, विशेष रूप से आर्थिक विकास में राज्यों के योगदान को उचित मान्यता मिलनी चाहिए।

तदनुसार, इसने क्षेत्रीय हस्तांतरण में एक नया मानदंड पेश किया — "जीडीपी में राज्य का योगदान"।

इसका परिणाम:

- दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों को मामूली लाभ हुआ है।
- बड़े उत्तरी और मध्य राज्यों के हिस्से में मामूली कमी देखी गई है।
- कुल संरचना बरकरार है, लेकिन दक्षता की ओर एक झुकाव दिखाई देता है।

क्या राज्यों को लाभ हुआ?

इसका उत्तर मिला-जुला है।

लाभ:

- मानदंड के रूप में विकास योगदान की मान्यता।
- औद्योगिक राज्यों के पक्ष में मामूली पुनर्वितरण।
- केंद्र को उपकर और अधिभार पर निर्भरता कम करने की सलाहकारी सिफारिश।

सीमाएँ:

- राज्यों की कुल हिस्सेदारी (41%) में कोई वृद्धि नहीं।
- विभाज्य पूल का कोई संरचनात्मक सुधार नहीं।
- उपकर और अधिभार का निरंतर बाहर रहना।
- वितरण में केवल छोटे (Incremental) बदलाव।

राजकोषीय संघवाद के लिए निहितार्थ

16वां वित्त आयोग न्याय बनाम दक्षता और केंद्र की वित्तीय जरूरतों बनाम राज्यों की स्वायत्तता के बीच एक सतर्क संतुलन को दर्शाता है। भारत का राजकोषीय संघवाद एक सहकारी लेकिन केंद्र-प्रमुख ढांचे के भीतर काम करना जारी रखता है।



आयोग ने दोनों पक्षों पर राजकोषीय जिम्मेदारी पर भी जोर दिया:

- **राज्यों को:** सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना चाहिए, बिजली क्षेत्र में सुधार करना चाहिए और ऋण को नियंत्रित करना चाहिए।
- **दोनों पक्षों को:** सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए।

आगे की राह (Way Forward)

1. उपकर और अधिभार पर निर्भरता में धीरे-धीरे कमी लाना।
2. केंद्र और राज्यों दोनों के लिए पारदर्शी राजकोषीय रोडमैप।
3. न्याय के साथ समझौता किए बिना प्रदर्शन-लिक्विड प्रोत्साहनों को मजबूत करना।
4. समय-समय पर आने वाले वित्त आयोगों के अलावा केंद्र-राज्य राजकोषीय संवाद को संस्थागत बनाना।

IAS-PCS Institute

निष्कर्ष

16वां वित्त आयोग भारत के राजकोषीय ढांचे में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं करता है। इसके बजाय, यह विकास प्रदर्शन की मामूली मान्यता पेश करते हुए मौजूदा ढांचे को संरक्षित करता है। राज्यों को "दक्षता" की स्वीकृति के मामले में थोड़ा लाभ हुआ है, लेकिन व्यापक संरचनात्मक मांगें—विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण और उपकर को शामिल करने के संबंध में—अभी भी अनसुलझी हैं।



प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (PRELIMS PRACTICE QUESTIONS)

प्रश्न 1. भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत किया जाता है।
2. उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले करों के विभाज्य पूल का हिस्सा होते हैं।
3. केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को ऊर्ध्वाधर वितरण (Vertical Devolution) कहा जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A) केवल 1
- B) केवल 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 2 और 3

उत्तर: B) केवल 3

प्रश्न 2. 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसने ऊर्ध्वाधर वितरण में राज्यों के हिस्से को 41% पर बनाए रखा।
2. इसने उपकर और अधिभार को विभाज्य पूल में शामिल करने की सिफारिश की।
3. इसने क्षेत्रीय वितरण के लिए “राज्य का GDP में योगदान” को एक मानदंड के रूप में शामिल किया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A) केवल 1 और 3
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1
D) 1, 2 और 3

उत्तर: A) केवल 1 और 3

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper 2)

प्रश्न: “16वां वित्त आयोग भारत के राजकोषीय संघवाद में किसी क्रांतिकारी परिवर्तन की बजाय सतर्क सुधारों के साथ निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है।” ऊर्ध्वाधर एवं क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

**OPTIONAL
SUBJECT**
वैकल्पिक विषय
PSIR
Fee - मात्र 6999 ₹
केवल 01 से
06 जुलाई
Dr. Faiyaz Sir

(वैकल्पिक विषय) Optional Subject
GEOGRAPHY
OPTIONAL
Fee - मात्र 6499 ₹
केवल 21 से
26 जुल
Dr. Faiyaz Sir